

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनात्मक डाक व्यव की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010—आषाढ़ 11, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं
(2) सांचिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रंवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्खापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. ई-5-485-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएएस., वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानीरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश को दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जून 2010 एवं 4 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सह-पंजीयन

महानीरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानीरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानीरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानीरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

1499

भोपाल, दिनांक 14 जून 2010

क्र. ई-5-466-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री सेवाराम, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 30 जून से 14 जुलाई 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सेवाराम की अवकाश की अवधि में श्री मनोज गोयल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सेवाराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सेवाराम द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष गोयल, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सेवाराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सेवाराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2010

क्र. ई-5-414-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राघव चन्द्रा, आयएएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 21 जून से 9 जुलाई 2010 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जून 2010 एवं दिनांक 10, 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राघव चन्द्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राघव चन्द्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राघव चन्द्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 जून 2010

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर इस विभाग के समसंबद्धक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 4 से 18 जून 2010 तक पन्द्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-812-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री जी.पी. कबीरपंथी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांस्थिकी विभाग को दिनांक 15 मई से 3 जुलाई 2010 तक पचास दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी.पी. कबीरपंथी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांस्थिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी.पी. कबीरपंथी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी.पी. कबीरपंथी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव।

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2010

क्र. एफ. 3-53-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत लेखा पुस्तकों सहित विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर
जबलपुर संभाग

1 श्री धनश्याम सिरसाम सहायक संचालक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव।

जेल विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

क्र. एफ. 3-28-2010-तीन-जेल-1218.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 3 के खण्ड (1) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, खुली कालोनी, होशंगाबाद को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल, होशंगाबाद के रूप में घोषित करती है।

F No. 3-28-2010-Three-Jail-1218.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 3 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894) and Rule 3 of the Madhya Pradesh Prisons Rules, 1968, the State Government hereby declares the Open Colony, Hoshangabad as Open Jail, Hoshangabad from the date of issue of this order.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अधिकारी नुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

फा. क्र. 1-6-89-इककीस-ब-(एक).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इककीस-ब-(एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक”, दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक 3, 31, 32, 38, 38-क, 39 और 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम एवं पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	कु. शोभा पोरवाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर।	ग्वालियर	ग्वालियर
31.	कु. मीना सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया।	दतिया	दतिया
32.	श्री यू. सी. जैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 रतलाम।	खण्डवा	खण्डवा (पूर्व निमाड़)
38.	श्री बी. के. श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 खण्डवा।	रतलाम	रतलाम
38-क.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा, रतलाम।	जावरा रतलाम	पुलिस थाना जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, कालूखेड़ा, रिंगनोद, बड़ावदा, पिपलौदा तथा ताल।

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	श्री संजय शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	सतना	सतना
40.	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 सिवनी.	सिवनी	सिवनी."

(दो) अनुक्रमांक 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम एवं पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
"50.	श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.	अनूपपुर	अनूपपुर
51.	श्री जसवंत सिंह क्षत्रीय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी.	डिंडोरी	डिंडोरी
52.	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, (सीनियर) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.	उमरिया	उमरिया."

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 1-6-89-XXI-B (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B (1) dated 3rd April 1998, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette Part-I", dated 17th April 1998, namely :—

AMENDMENTS

(1) In the said Notification, in the Schedule,—

(i) for serial numbers 3, 31, 32, 38, 38-A, 39, and 40 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name and designation of the Judge (2)	Special Court (3)	Local area/Session division (4)
"3.	Ku. Shobha Porwal, 1st Additional Sessions Judge, Gwalior.	Gwalior	Gwalior
31.	Ku. Meena Singh, 1st Additional Sessions Judge, Datia.	Datia	Datia
32.	Shri U. C. Jain, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Khandwa.	Khandwa	Khandwa (East Nimar)

	(1)	(2)	(3)	(4)
38.	Shri B. K. Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989	Ratlam	Ratlam	
	Ratlam.			
38-A	Shri Rajendra Prasad Gupt, Additional Sessions Judge, Jaora, Ratlam	Jaora, Ratlam	Police Station Jaora City, Industrial Area Jaora, Kalukhera, Ringnaud, Badawada, Piploda and Police Station Tal.	
39.	Shri Sanjay Shukla, 1st Additional Sessions Judge, Satna.	Satna	Satna	
40.	Shri Rajendra Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989	Seoni	Seoni."	
	Seoni.			

(ii) After serial number 49 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No.	Name and designation of the Judge (1)	Special Court (2)	Local area/Session division (3)	Local area/Session division (4)
50.	Shri Rishabh Kumar Jain, District and Sessions Judge, Anuppur.		Anuppur	Anuppur
51.	Shri Jaswant Singh Kshatriya, District and Sessions Judge, Dindori.		Dindori	Dindori
52.	Shri Prakash Chandra Gupta (Sr.), Additional Sessions Judge, Umaria.		Umaria	Umaria."

(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in the notification assumes the charge of his office in the said court.

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग-1 में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक 5, 18 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“5.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंगावली, अशोकनगर.	मुंगावली तथा चंदेरी का विद्युत् क्षेत्र
18	छतरपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 तथा 19-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
19.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	नौगांव का विद्युत् क्षेत्र.”

(दो) अनुक्रमांक 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“19-ए	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर, छतरपुर	बिजावर का विद्युत् क्षेत्र.”

(तीन) अनुक्रमांक 24, 25, 29, 33, 38, 39, 41, 73, 80, 83, 92 और 100 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“24.	दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सेवढ़ा.	सेवढ़ा का विद्युत् क्षेत्र
25.	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), देवास.	सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 तथा 27 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
29.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्की, धार.	कुक्की का विद्युत् क्षेत्र
33.	खण्डवा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	सिविल जिला खण्डवा का विद्युत् क्षेत्र
38.	ग्वालियर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा ग्वालियर.	डबरा का विद्युत् क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	हरदा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा.	सिविल जिला हरदा का विद्युत् क्षेत्र
41.	होशंगाबाद	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर, होशंगाबाद.	सोहागपुर तथा पचमढ़ी का विद्युत् क्षेत्र
73.	रीवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 74 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
80.	सीहोर	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर.	सिविल जिला सीहोर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 81 तथा 82 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
83.	सिवनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सिवनी.	सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
92.	शिवपुरी	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक, कोर्ट) शिवपुरी.	सिविल जिला शिवपुरी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 93 तथा 94 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
100.	उमरिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया	उमरिया का विद्युत् क्षेत्र.

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे।

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B (1), dated 6th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 dated 16th October 2009 namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule,—

(1) for serial numbers 5, 18, 19 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Name of Civil District (2)	Special Court (3)	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)
(1)			
“5.	Ashoknagar	Additional Judge to the Court of 1 st Additional Sessions Judge, Mungawali, Ashoknagar.	Electricity Area of Mungawali and Chanderi.
18.	Chhatarpur	1 st Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	All Electricity area of Civil District, Chhatarpur (excluding the jurisdiction of Special courts at serial number 19 and 19-A).
19.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Naowgaon.	Electricity area of Naowgaon.”:

(ii) after serial number 19, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S.No.	Name of Civil District (1) (2)	Special Court (3)	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)
19-A	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Bijawar, Chhatarpur.	Electricity Area of Bijawar.

(iii) for serial numbers 24, 25, 29, 33, 38, 39, 41, 73, 80, 83, 92 and 100 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

S.No.	Name of Civil District (1) (2)	Special Court (3)	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)
“24.	Datia	Additional Judge to the Court of IIInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Seondha.	Electricity Area of Seondha.
25.	Dewas	IIInd Additional Judge, to the Court of IIInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Dewas.	All Electricity area of Civil District, Dewas (excluding the jurisdiction of special courts at serial number 26 and 27).
29.	Dhar	Additional Judge, to the Court of Additional Sessions Judge, Kukshi Dhar.	Electricity area of Kukshi
33.	Khandwa	I st Additional Sessions Judge, Khandwa.	Electricity Area of Civil District, Khandwa.
38.	Gwalior	I st Additional Sessions Judge, Dabra, Gwalior.	Electricity Area of Dabra.
39.	Harda	Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge, Harda.	Electricity Area of Civil District, Harda
41.	Hoshangabad	II nd Additional Sessions Judge, Sohagpur, Hoshangabad.	Electricity Area of Sohagpur and Pachmari.
73.	Rewa	II nd Additional Sessions Judge, Rewa.	All Electricity area of Civil District, Rewa (excluding the jurisdiction of special courts at serial number 74).
80.	Sehore	Special Judge, Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.	All Electricity area of Civil District, Sehore (excluding the jurisdiction of special courts at serial number 81 and 82).
83.	Seoni	III rd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Seoni.	All Electricity area of Civil District, Seoni (excluding the jurisdiction of special courts at serial number 84).
92.	Shivpuri	IV th Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Shivpuri.	All Electricity area of Civil District, Shivpuri (excluding the jurisdiction of special courts at serial number 82 and 83).
100.	Umaria	Additional Sessions Judge, Umaria.	Electricity area of Umaria

Note.—The Pending Cases of the Special Court be stand transferred to the newly constituted court accroding to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1” में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक 3 और 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनूपपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.
5.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंगावली, अशोकनगर.	श्री माईकल सेमुअल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश मुंगावली, अशोकनगर.

(दो) अनुक्रमांक 19 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“19-ए	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर, छतरपुर.	श्री आर. सी. मालवीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर, छतरपुर.”.

(तीन) अनुक्रमांक 24, 25, 29, 32, 33, 38, 39, 41, 47, 58, 61, 72, 73 और 80 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ क्रमशःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“24.	दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सेवढा.	श्री राजीव कुमार गोंदले, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सेवढा.
25.	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), देवास.	श्रीमती अलका दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), देवास.

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी, धार के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी धार.	श्री डी. डी. द्विवेदी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी, धार के अतिरिक्त न्यायाधीश, धार.
32.	डिण्डोरी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी	श्री जे. एस. क्षेत्रीय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी.
33.	खण्डवा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
38.	ग्वालियर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा, ग्वालियर.	श्री विनोद कुमार, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा, ग्वालियर.
39.	हरदा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा.	श्री संजय कुमार जैन, (सीनियर) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश.
41.	होशंगाबाद	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर, होशंगाबाद.	श्री दिलीप कुमार नागले, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर, होशंगाबाद.
47.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
58.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), सबलगढ़, मुरैना.	श्री आर. के. भद्रसेन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), सबलगढ़ मुरैना.
61.	नरसिंहपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (गाडरवारा), नरसिंहपुर.	श्री आर. के. भावे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (गाडरवारा), नरसिंहपुर.
72.	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा, रतलाम.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा, रतलाम.
73.	रीवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री आर. सी. एस. बिसेन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.
80	सीहोर	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर.	श्री लालजी प्रसाद शर्मा, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर.
83.	सिवनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), सिवनी.	श्री किसना अतुलकर, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), सिवनी.
85.	शहडोल	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल.	श्री प्रह्लाद सिंह पाटीदार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल.

(1)	(2)	(3)	(4)
87.	शाजापुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.	श्री आर. के. सोनी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.
92.	शिवपुरी	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शिवपुरी.	मोहम्मद एच. अंसारी चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शिवपुरी.
100.	उमरिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया	श्री पी.सी. गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया
103.	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरौंज, विदिशा.	श्री यशवंत सिंह परमार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरौंज, विदिशा.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B (1), dated 6th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 dated 16th October 2009 namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule,—

- (i) for serial numbers 3 and 5 entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

S.No.	Name of Civil District	Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Anuppur	District and Sessions Judge, Anuppur	Shri Rishabh Kumar Jain, District & Sessions Judge, Anuppur.
5.	Ashoknagar	Additional Judge, to 1 st Additional Sessions Judge, Mungawali Ashoknagar.	Shri Michal Samual, Additional Judge to 1 st Additional Sessions Judge, Mungawali, Ashoknagar.

- (ii) after serial number 19, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S.No.	Name of Civil District	Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
19-A	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Bijawar, Chhatarpur.	Shri R. C. Malviya, Additional Sessions Judge, Bijawar, Chhatarpur.

- (iii) for serial numbers 24, 25, 29, 32, 33, 38, 39, 41, 47, 58, 61, 72, 73 and 80 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

S.No.	Name of Civil District	Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"24.	Datia	Additional Judge to IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Seodha, Datia.	Shri Rajendra Kumar Gondle, Additional Judge, to IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Seodha, Datia.

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Dewas	IInd Additional Judge, to the IInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Dewas.	Smt. Alka Dube, IInd Additional Judge to the Additional Sessions Judge,(Fast Track Court), Dewas.
29.	Dhar	Additional Judge to the Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar.	Shri D. D. Dwivedi, Additional Judge to the Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar.
32.	Dindori	District and Sessions Judge, Dindori	Shri J. S. Kshatriya, District and Sessions Judge, Dindori.
33.	Khandwa	I st Additional Sessions Judge, Khandwa	Smt. Ashita Shrivastava, I st Additional Sessions Judge, Khandwa.
38.	Gwalior	I st Additional Sessions Judge, Dabra, Gwalior.	Shri Vinod Kumar, I st Additional Sessions Judge, Dabra, Gwalior.
39.	Harda	Additional Judge to the Additional Sessions Judge Harda.	Shri Sanjay Kumar Jain (Sr.) Additional Judge to the Additional Sessions, Judge, Harda.
41.	Hoshangabad	II nd Additional Sessions Judge, Sohagpur, Hoshangabad.	Shri Dilip Kumar Nagle, II nd Additional Sessions Judge, Sohagpur District, Hoshangabad.
58.	Morena	Additional Sessions Judge, (Fast Tarck Court) Sabalgarh Morena.	Shri R. K. Bhadrasen, Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Sabalgarh Morena.
61.	Narsinghpur	Additional Sessions Judge, Gadarwara, Narsinghpur.	Shri R. K. Bhave, Additional Sessions Judge, Gadarwara, Narsinghpur.
72.	Ratlam	Additional Sessions Judge, Jora, Ratlam	Shri Rajendra Prasad Gupta, Additional Sessions Judge, Jora, Ratlam.
73.	Rewa	III rd Additional Sessions Judge, Rewa	Shri. R. C. S. Bisen, III rd Additional Sessions Judge, Rewa.
80.	Sehore	Special Judge Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.	Shri Lalji Prasad Sharma, Special Judge Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, Sehore.
83.	Seoni	III rd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Seoni	Shri Kisna Atulkar, III rd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Seoni
85	Shahdol	Special Judge to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol.	Shri Prahlad Singh Patidar, Special Judge Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, Shahdol.
87	Shajapur	I st Additional Sessions Judge, Shajapur	Shri R. K. Soni I st Additional Sessions Judge, Shajapur.
92.	Shivpuri	IV th Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Shivpuri.	Mohammad H. Ansari, IV th Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Shivpuri.
100.	Umaria	Additional Sessions Judge, Umaria.	Shri P. C. Gupta, Additional Sessions Judge, Umaria.
103	Vidisha	Additional Sessions Judge, Sirjonj, Vidisha.	Shri Yashwant Singh Parmar, Additional Sessions Judge, Sirjonj, Vidisha.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

फा. क्र. 17(ई)10-2001-इकीस-ब(एक).—राज्य शासन उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहम्मद अनवर सिद्दीकी जिला एवं सेशन न्यायाधीश मंडला की सेवाएं, संचालक, लोक अभियोजन, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 जून 2010

फा. क्र. 1(बी)1-2005-इकीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद सोनी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक (फास्ट ट्रैक कोर्ट) खुरई, जिला सागर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव।

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. एफ. 2-4-2010.—इकतालीस, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन एण्ड रेगुलेशन के नियम (19) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, नियमानुसार परिषद् के कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया जाता है :—

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | माननीय मंत्रीजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन। | — अध्यक्ष |
| 2. | महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल। | — संयोजक |
| 3. | प्रो. पीयूष त्रिवेदी, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि., भोपाल। | — सदस्य |
| 4. | डॉ. अजय गोयनका, प्रबंध निदेशक, चिरायु एयर प्रोडक्ट्स, 11, प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल। | — सदस्य |
| 5. | डॉ. पी.पी. शास्त्री, संकाय अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, जसवाड़ी रोड, खण्डवा, म.प्र. | — सदस्य |
| 6. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल। | — सदस्य |
| 7. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल। | — सदस्य |
| 8. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल। | — सदस्य |
| 9. | प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, टेक्नॉलॉजी भवन, मेहरोली रोड, नई दिल्ली। | — सदस्य |
| 10. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल। | — सदस्य |
| 11. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल। | — सदस्य |
| 12. | डॉ. सुधीर शर्मा, अध्यक्ष, वीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल। | — सदस्य |
| 13. | श्री टी.जी.के. मेनन, 46 संवाद नगर, इंदौर म.प्र। | — सदस्य |
| 14. | डॉ. ए. के. गुप्ता, निदेशक, प्रगत पदार्थ अनुसंधान केन्द्र (एएमपीआरआई), होशंगाबाद रोड, भोपाल। | — सदस्य |
| 15. | डा. ए.के. वर्मा, सलाहकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) योजना आयोग भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली। | — सदस्य |
| 16. | प्रो. डी.पी. सिंह, कुलपति, बनारस हिन्दू वि.वि. वाराणसी, उत्तरप्रदेश। | — सदस्य |
| 17. | कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल। | — सदस्य-सचिव। |

क्र. एफ. 2-4-2010-इकतालीस.—मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन एण्ड रेगुलेशन के नियम

(4) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा परिषद् की साधारण सभा (General Body) का नियमानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

- | | |
|--|-----------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल 2. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भोपाल. 3. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल. 4. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, वित्त भोपाल. 5. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार, भोपाल. 6. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिकी एवं सांचिकी, भोपाल. 7. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास, भोपाल. 8. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, कृषि, भोपाल. 9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 12. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिकी एवं सांचिकी विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 13. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 14. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 15. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 16. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 17. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल. 18. डॉ. माधव हरि काहेरे, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल, (सर्जरी) एवं अध्यक्ष, शारदा विहार, 54, शारदा विहार परिसर, पोस्ट अफिस, सूरज नगर, भोपाल-462044. 19. प्रो. पीयूष त्रिवेदी, कुलपति, रा. गां. प्रौ. वि.वि., भोपाल. 20. प्रो. बी.के. कुठियाला, कुलपति, मर्खनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता वि.वि., भोपाल. 21. कुलपति, ज.ने.कृ.वि.वि., आधारताल, जबलपुर (म.प्र.). 22. निदेशक, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, भोपाल-462007. 23. डॉ. जे.एस. परिहार, उप निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एसएसी), इसरो, अहमदाबाद. 24. डॉ. ए. के. वर्मा, सलाहकार, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली. 25. डॉ. सुधीर शर्मा, अध्यक्ष, वी.एन.एस. युप ऑफ इंस्टीट्यूट, रातीबढ़, भोपाल. 26. प्रो. एस.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, ऊर्जा एवं पर्यावरण अध्ययन शाला, देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर. 27. प्रो. ए.डी.एन. बाजपेयी, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर. 28. श्री टी.जी.के. मेनन, 46 संवाद नगर, इन्दौर म.प्र. 29. डॉ. बी.एम. गुप्ता, प्राचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय, नेहरू नगर, भोपाल. 30. डॉ. अतुल गोविन्द भुस्कुटे, टिमरनी गढ़ी, होशंगाबाद, म.प्र. 31. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, अमरकंटक भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल. 32. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सतपुड़ा भवन, भोपाल. | — अध्यक्ष |
|--|-----------|

33. प्रमुख अधियंता, लोक निर्माण विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
34. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
35. संचालक, कृषि विभाग, विन्ध्याचल, भवन, भोपाल.
36. संचालक उद्योग विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
37. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
38. डा. पी.पी. शास्त्री संकाय अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, कॉटन रिसर्च स्टेशन, जशबाड़ी रोड, खण्डवा.
39. डॉ. जी.के. कौटू, वैज्ञानिक प्लांट ब्रिडिंग एवं जेनेटिक्स विभाग, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर.
40. श्री प्रशांत पाल, निदेशक, टेलिमेट्रिक इंडिया लिमिटेड, 1126, समाधान अस्पताल के पास, राईट टाउन, जबलपुर.
41. डॉ. अजय गोयनका, प्रबंध निदेशक, चिरायु एयर प्रोडक्ट्स, 11 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल.
42. श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग 181, रचना नगर, भोपाल.
43. कार्यपालक निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल), भोपाल.
44. अध्यक्ष विज्ञान भारती, 44-45, बंगला बाणगंगा रोड, भोपाल.
45. महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल.
46. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, लि., भद्रभदा रोड, भोपाल.
47. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली.
48. निदेशक, प्रगत पदार्थ अनुसंधान केन्द्र (सीएसआईआर), होशंगाबाद रोड, भोपाल.
49. सचिव (अथवा उनके प्रतिनिधि) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, टेक्नालॉजी भवन, नई दिल्ली.
50. सचिव (अथवा उनके प्रतिनिधि), पृथ्वी विज्ञान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली.
51. महानिदेशक (अथवा उनके प्रतिनिधि) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली.
52. निदेशक (अथवा उनके प्रतिनिधि) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली.
53. अध्यक्ष (अथवा उनके प्रतिनिधि), भारतीय समाज विज्ञान परिषद् अरुणा आसफ अली, मार्ग, नई दिल्ली-110067.
54. महानिदेशक, (अथवा उनके प्रतिनिधि) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूसा, नई दिल्ली.
55. महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली.
56. अध्यक्ष (अथवा उनके प्रतिनिधि) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, बैंगलूरू.
57. सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार, सीजीओ, काम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली.
58. श्री नरेन्द्र दुबे, गौ-विज्ञान, डी-37, सुदामा नगर, इन्दौर-452009.
59. श्रीमती नंदिता पाठक, संचालक, उद्यमिता विद्यापीठ, दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट म.प्र.
60. प्रो. डा.पी. सिंह, कुलपति, बनारस हिन्दू विवि.वि. वाराणसी, उत्तरप्रदेश.
61. महानिदेशक (सदस्य सचिव), म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, नेहरू नगर, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा महाराष्ट्र शासन, परिवहन विभाग

के मध्य अनुपूरक परिवहन करार का प्रारूप

भोपाल, दिनांक 23 जून 2010

करार

क्र. एफ. 22-83-05-आठ —यह करार आज दिनांक 18 जून 2010 का मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे “मध्यप्रदेश शासन” कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल (जिन्हें आगे “महाराष्ट्र शासन” कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन और महाराष्ट्र शासन के मध्य 9 अप्रैल 2009 में निष्पादित हुए अनुपूरक पारस्परिक परिवहन करार में कुछ मार्ग जिन पर अस्थायी अनुज्ञायें जारी होती हैं, सम्मिलित होने से छूट गये हैं। अब दोनों पक्ष वर्तमान में प्रभावी करार में इन छूटों मार्गों को सम्मिलित करने हेतु सहमत हैं।

अतएव, अब, उक्त पक्षों द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005-आठ, दिनांक 1 मार्च 2007 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित करार की कंडिका 10 (ई) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एक अतिरिक्त अनुपूरक करार निम्नवत् निष्पादित किया जाता हैः—

- (1) अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005-आठ, दिनांक 24 अप्रैल 2009 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित अनुपूरक करार के परिशिष्ट “ए” के क्रमांक-120 के बाद इस करार के अनुलग्नक-ए में अंकित मार्ग जोड़ दिये जायेंगे।
- (2) अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005-आठ, दिनांक 24 अप्रैल 2009 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित अनुपूरक करार के परिशिष्ट “बी” के क्रमांक-79 के बाद इस करार के अनुलग्नक-बी में अंकित मार्ग जोड़ दिये जायेंगे।
- (3) अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005-आठ, दिनांक 24 अप्रैल 2009 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित अनुपूरक करार के परिशिष्ट “सी” के क्रमांक-62 के बाद इस करार के अनुलग्नक-सी में अंकित मार्ग जोड़ दिये जायेंगे।
- (4) इस अतिरिक्त अनुपूरक करार का अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005-आठ, दिनांक 1 मार्च 2007 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित करार का अंग माना जायेगा।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस अतिरिक्त करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ता./-

(अनिरुद्ध मुकर्जी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिए
उनकी ओर से।

हस्ता./-

(सी. एस. संगीतराव)

सचिव,

महाराष्ट्र शासन, परिवहन विभाग,
महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए
उनकी ओर से।

साक्षी

परिवहन आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई।

साक्षी,
संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.स.प. निगम, भोपाल, म.प्र.

परिशिष्ट-अ

महाराष्ट्र राज्य के लिए आवंटित अतिरिक्त मार्ग

सरल क्र.	मार्ग	मार्ग की दूरी कि. मी.			एकल फेरे महाराष्ट्र		संचालित कि.मी. महाराष्ट्र द्वारा मध्यप्रदेश में		परमिट संख्या महाराष्ट्र
		महा.	म. प्र.	कुल	न्यून.	अधि.	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(10)	
12	सांबनेर-सौंसर व्हाया पाडरसिंगा.	14..2	18.0	32.2	10	30	180.0	540.0	10
122	सांबनेर-रेमण्ड फैक्टरी व्हाया पाडरसिंगा	14.2	07.0	21.2	10	20	70.0	140.0	05
123	काटोल-सौंसर व्हाया वडचिचोली, राजना, पीपला.	27.2	35.7	62.9	04	08	142.8	285.6	04
124	नागपुर-मोहखेड व्हाया सांबनेर, सौंसर, रामाकोना.	52.0	58.2	110.2	02	04	116.4	232.8	02
125	तुमसर-बालाधाट व्हाया तिरोडा, खैरलांजी, अर्जुनी.	47.0	38.0	85.0	04	08	152.0	304.0	04
126	गोंदिया-लांजी व्हाया आमगांव.	35.0	23.0	58.0	08	10	184.0	230.0	04
	कुल योग . .	189.6	179.9	369.5	38	80	845.2	1732.4	29

परिशिष्ट-ब

मध्यप्रदेश राज्य के लिए आवंटित अतिरिक्त मार्ग

सरल क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी कि. मी.			एकल फेरे मध्यप्रदेश		संचालित कि.मी. मध्यप्रदेश द्वारा महाराष्ट्र में		परमिट संख्या म.प्र.
		म. प्र.	महा.	कुल	न्यून.	अधि.	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(10)	
80	धोपाल-नासिक व्हाया इन्दौर, धूलिया.	359	259	618	02	02	518	518	02
81	लालबर्ग-नागपुर व्हाया वारासिवनी, गोंदिया.	61	183	244	02	02	366	366	02
	कुल योग . .	420	442	862	04	04	884	884	04

परिशिष्ट-स

मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के लिए संयुक्त संचालन के अतिरिक्त मार्ग

संख्या क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग दूरी किलोमीटर			एकल फेरे				संचालित कि.मी. म. प्र.			संचालित कि.मी. महाराष्ट्र			परमिट संख्या			
		म. प्र.	महा.	कुल	म. प्र.		महा.		द्वारा महाराष्ट्र में		महाराष्ट्र द्वारा		म. प्र. में	न्यू अधि.	न्यू अधि.	अधि.	म. प्र. में	न्यू अधि.
					न्यू	अधि.	न्यू	अधि.	न्यू	अधि.	न्यू	अधि.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												
63	अकोला-छिंदवाड़ा ब्हाया वनगांच, सुनी, रामाकोना, उमरानाला, लिंगा.	109	225.6	334.6	02	04	02	04	451.2	902.4	218	436	02	02	02	02	02	02
64	नांदेड-खण्डवाळ्या हिंगोली, वासिम, भलकापुर.	92	353.7	445.7.	02	04	02	04	707.4	1414.8	184	368	02	02	02	02	02	02
65	गोंडिया-बालाघाट ब्हाया रजेगांच	24	18	42	30	50	30	50	540	900	720	1200	15	15	15	15	15	15
कुल योग ..		225	597.3	822.3	34	58	34	58	1698.6	3217.2	1122	2004	19	19	19	19	19	19

AGREEMENT

Additional Reciprocal Transport Agreement between the Government of Maharashtra and the Government of Madhya Pradesh

This agreement is made this 18 day of June in the year Two Thousand Ten between the State of Madhya Pradesh hereinafter referred to as Government of Madhya Pradesh (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include his successors in official assigns) of the one part and the State of Maharashtra exercising executive powers of the Government of State of Maharashtra hereinafter referred to as the Government of Maharashtra (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include his successors in official assigns) of the Other Part.

WHEREAS in the supplemental Reciprocal Transport Agreement between the Government of Madhya Pradesh and the Government of Maharashtra made on 9th April, 2009, some routes, on which buses operated on temporary permits, could not be included in this Agreement. Now both States have agreed to include these routes in the existing Reciprocal Transport Agreement.

NOW, THEREFORE, Under the provision of clause 10 (f) of Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by No. F-22-83-2005-VIII, dated 1st March, 2007 both the parties execute the additional supplemental agreement as under :—

- (1) After serial No. 120 of Schedule "A" of the Supplemental Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by Notification No. F-22-83-2005-VIII, dated 24th April 2009 the routes specified in enclosed Schedule "A" shall be added.

- (2) After serial No. 79 of Schedule "B" of the Supplemental Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by Notification No. F-22-83-2005-VIII, dated 24th April 2009 the routes specified in enclosed schedule "B" shall be added.
- (3) After serial No. 62 of Schedule "C" of the Supplemental Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by Notification No. F-22-83-2005-VIII, dated 24th April 2009 the routes specified in enclosed schedule "C" shall be added.
- (4) This additional supplemental agreement shall be deemed to be a part of Reciprocal Transport Agreement published and notified by Notification No. F-22-83-2005-VIII, dated 1st March, 2007.

In evidence of the parties to the agreement herein under have signed this additional agreement on this Day 18th June and year 2010.

Sd./-

(ANIRUDDHE MUKERJEE)
Secretary,
Madhya Pradesh Government
Trasport Department
For and on behalf of the Governor of
Madhya Pradesh

Sd./-

(C.S. SANGITRAO)
Secretary
Maharashtra Government
Transport Department
For and on behalf of the Governor of
Maharashtra

Witness

Divisional Manager,
M.P.R.T.C. Bhopal, M.P.

Witness

Transport Commissioner,
Maharashtra State, Mumbai.

SCHEDULE-A

Additional routes allotted to Maharashtra State

Sr. No.	Name of Route	Routes length in Kms.			No. of Single Trips M.S.		Service Kms. M.S. in M.P.		No. of Permits M.S.
		M.S.	M.P.	Total	Min.	Max.	Min.	Max.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
121	Savner-Saunsar via Padarsinga.	14.2	18.0	32.2	10	30	180.0	540.0	10
122	Savner-Raymond Factory via Padarsinga.	14.2	07.0	21.2	10	20	70.0	140.0	05
123	Katol-Saunsar via Badchicholi, Rajana, Pipala.	27.2	35.7	62.9	04	08	142.8	285.6	04
124	Nagpur-Mohkhed via Savner, Saunsar Ramakona.	52.0	58.2	110.2	02	04	116.4	232.8	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
125	Tumsar-Balaghat via Tiroda, Khairlanji, Arjuni.	47.0	38.0	85.0	04 08 152.0 304.0 04
126	Gondia-Lanli via Aamgaon.	35.0	23.0	58.0	08 10 184.0 230.0 04
	Total ..	189.6	179.9	369.5	38 80 845.2 1732.4 29

SCHEDULE-B

Additonal routes allotted to M.P. State

Sr. No.	Name of route	Routes length in			No. of Single		Service Kms.		No. of Permits	
		M.P.	M.S.	Total	Trips M.P.	Min	Max.	M.P. in M.S.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
80	Bhopal-Nasik via Indore, Dhulia.	359	259	618	02	02	518	518	02	
81	Lalbura-Nagpur via Waraseoni, Gondia.	61	183	244	02	02	366	366	02	
	Total ..	420	442	862	04	04	884	884	04	

SCHEDULE-C

Additonal routes Jointly allotted to M.P. & Maharashtra State

Sr.	Name of Route	Routes length in			No. of Single				Service Kms.		Service Kms.		No. of Permit	
		M.P.	M.S.	Total	M.P.	M.s	min	Max.	Min.	Max.	M.P. in Ms.	Min.	Max.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
63	A k o l a - Chindwara Via Bangoan, Suni, R a m k o n a , Umaranal, Linga.	109	225.6	334.6	02	04	02	04	451.2	902.4	218	436	02	02
64	N a n d e d - Khandwa via Hingoli, Vasim, Malkapur.	92	353.7	445.7	02	04	02	04	707.4	1414.8	184	368	02	02
65	Gondia-Balaghat via rajegaon.	24	18.0	42.0	30	50	30	50	540.0	900.00	720	1200	15	15
	Total ..	225	597.3	822.3	34	58	34	58	1698.6	3217.2	1122	2004	19	19

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्र. 1-अ-82-08-09-भू-अ. अ.-09-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	1. सुभाष नगर नं. बं. 773 प.ह.नं. 25/31	8500	आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर.	मार्ग विस्तारीकरण हेतु.
		2. सुनारवाडी नं. बं. 425 प.ह.नं. 25/31	7350		
		3. हिनौतिया नं. बं. 754 प.ह.नं. 25/31	6300		
		योग . .	22150		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्र. 1-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-10-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	(4)		
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	रानीपुर नं. बं. 401 प.ह.नं. 25/31.	0.491	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर.	ओमती नाले पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज से मदन महल स्टेशन को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु।	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 मई 2010

प्र. क्र. 24-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	(4)		
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)
छतरपुर	बिजावर	अनगौर	21.580	अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर.	खैरों तालाब योजना हेतु।	
(2)						
(3)						

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खैरों तालाब योजना हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है।

छतरपुर, दिनांक 31 मई 2010

क्र. 5-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हैः—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	भैरा	45.121	अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.).	भैरा तालाब योजना निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

(2) भू-अर्जन के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 14 जून 2010

क्र. भू-अर्जन-10-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	मलठार ह.नं. 40	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, निवास।	स्टाप डेम सह पुलिया निर्माण हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खंडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 13 मई 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हें. में.)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	लटेरी	जोराबरखेड़ी	1.600	भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज	रूसल्ली साहू तालाब के ढूब क्षेत्र की शेष भूमि के अर्जन हेतु।
(2)					रूसल्ली साहू तालाब के ढूब क्षेत्र की शेष भूमि के अर्जन हेतु।
(3)					भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 जून 2010

क्र. 882-भू-अर्जन-10- प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाना नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में.)	धारा 4(1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	टुमनी	9.53	आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास	क्षिप्रजल-आवर्धन योजनान्तर्गत ढूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास में देखा जा सकता है।

क्र. 888-भू-अर्जन-10- प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाना नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(1) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	अलीपुर	14.43	आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास	क्षिप्रा जल-आवर्धन योजनान्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत,

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास में देखा जा सकता है।

क्र. 894-भू-अर्जन-10- प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाना नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(1) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	सुकल्या	0.903	आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास	क्षिप्रा जल-आवर्धन योजनान्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत,

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्र. 1-अ-82-08-09 (भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—जबलपुर
- (ग) ग्राम—सुभाषनगर, सुनारवाड़ी, हिनौतिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—22150 वर्गफुट

खसरा	रक्का
नम्बर	(वर्गफुट में)
(1)	(2)

ग्राम-सुभाष नगर

नं. बं. 773 प. ह. नं. 25/31

25	3100
23	1700
24/2	3700
योग :	8500

ग्राम-सुनारवाड़ी

नं. बं. 425 प. ह. नं. 25/31

17/1 क	1600
18	1750
7/2	4000
योग :	7350

ग्राम-हिनौतिया

नं. बं. 754 प. ह. नं. 25/31

386	2300
328	4000
योग :	6300

महायोग : 22150

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मार्ग विस्तारीकरण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्र. 1-अ-82-09-10 (भू. अ. अ.)-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—जबलपुर
- (ग) ग्राम—रानीपुर नं. बं. 40/प. ह. क्रं. 25/31.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.491 हेक्टेयर।

खसरा	रक्का
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
21/1	0.045
21/2	0.030
21/3	0.016
21/4	0.014
21/5,6,7	0.186
21/8	0.094
25/1	0.030
25/2	0.037
26	0.039
योग :	0.491

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ओमती नाले पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज से मदन महल रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 जून 2010

क्र. 528-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
- (ग) ग्राम—बैरिहा
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—14.8708 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकमा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1725/1, 1725/2	0.128
1726/1 क, 1726/2	0.24
1727, 1727/2	0.032
1734/1, 1734/2	0.032
1735	0.10
1737	0.016
1738/1, 1738/2	0.076
1641	0.368
1640	0.132
614	0.0064
615	0.08
616	0.076
617/1, 617/2	0.012
618	0.068
623	0.128
624	0.0224
622/1, 622/2	
622/3, 622/4	
622/5, 622/6	0.0192
622/7, 6228	
622/9, 622/10	
625	0.112
690	0.167
691/1, 691/2	0.0168
689/1, 689/2 क	
689/2 ख	0.0192
684	0.024
685	0.088
683/1, 683/2, 683/3	0.238
734	0.016
732/1, 732/2, 733/3	0.06
733/1, 731/2	0.044

(1)	(2)
731,	0.1064+0.04=0.1464
723	0.112
720/1, 720/2, 720/3,	
720/4, 720/5, 720/6,	0.065
720/7, 720/8, 720/9	
720/10	
725	0.022
719	0.096
767	0.048
768	0.012
770	0.026
769	0.026
771/1, 771/2 अ, 771/2 ब	0.029
773/1, 773/2, 773/3	0.064
774/1	
774/2 अ, 774/2 ब	0.058
775	0.058
776/1, 776/2	0.145
1871	0.165
821	0.14
818	0.052
822/1, 822/2	0.056
817/1, 817/1 क, 817/2	0.012
817/3, 817/4	
815/1, 815/2, 815/3,	0.024
815/4	
816/1 अ, 816/1 ब, 816/2	0.224
816/3, 816/4, 816/5	
1544/1, 1544/2, 1544/3,	0.07
1544/4, 1544/5	
1545/1, 1545/2, 1545/3/1	0.019
1545/3/2	
1543/1, 1543/2 क, 1543/2 ख	0.016
1543/3, 1543/4, 1543/5, 1543/6	
1532/1, 1532/2 क, 1532/2 ख	0.352
1532/2 अ, 1532/2 ख, 1532/3,	
1532/4, 1532/5, 1532/6,	
1531/1, 1531/2 क, 1531/2 ख	0.044
1531/3, 1531/4, 1531/5,	
1531/6	
1530/1, 1530/2 क, 1530/2 ख	0.164
1530/3, 1530/4, 1530/5, 1530/6	
1529/1, 1529/2 क, 1529/2 ख	0.140
1529/3	

(1)	(2)	(1)	(2)
1529/4, 1529/5, 1529/6	0.140	1281	0.01
1528/1, 1528/2 क,	0.224	1259	0.096
1528/2ख, 1528/3, 1528/4,		1260	0.231+0.032=0.263
1528/5, 1528/6		1261	0.16
1527/1, 1527/2क, 1527/2ख		1262	0.12+0.108=0.228
1527/3, 1527/4, 1527/5,		1264	0.1152
1527/6, 1527/7, 1527/8,	0.016	1265/1/1, 1266/1/2, 1265/2	0.052
1527/9, 1527/10, 1527/11क,		1265/3/1, 1265/3/2	
1527/11ख 1527/11ग,		1267/1, 1267/2/1, 1267/2	0.16
1527/11घ		1268/1, 1268/2, 1268/3	0.09
1483/1, 1483/2क, 1483/2ख	0.022	152	0.1261
1483/3, 1483/4, 1483/5, 1483/6		151	0.253
1484	0.048	116	0.019
1525/1/1, 1525/1/2, 1525/1/3	0.048	122	0.013
1524/1, 1524/2	0.257	117/1, 117/2	0.234
1487	0.048	80/1, 80/2, 80/3, 80/4,	0.144
1521	0.05	80/5, 80/6	
1520/1, 1520/2	0.054	79/1, 79/2	0.174
1519	0.073	77/1, 77/2/1, 77/2/2	0.02
1518/1, 1518/2	0.0032	78/1, 78/2, 78/3/1, 78/3/2,	0.079
1517	0.024	78/3/3, 78/3/4, 78/3/5, 78/3/6,	
1516	0.088	1263	0.232
1508, 1508/2, 1508/3	0.005	1085	0.024
1511/1, 151/2, 151/3	0.156	160	0.4173
1505	0.062	159	0.061
1504	0.087	158	0.296
1503	0.034	110	0.018
1293/1अ, 1293/1ब, 1293/1स		108/1, 108/2	0.007
1293/1द/1, 1293/1द/2क,		96	0.019
1293/1द/2ख, 1293/1द/3,	0.156	1848	0.150
1293/2/1, 1293/2/2, 1293/2/3,		95/1अ/1, 95/1अ, 95/1ब, 95/1स,	0.056
1293/2/4		95/2, 95/3, 95/4,	
1296/1 अ, 1296/1 ब, 1296/2 ब,	0.035	97/1, 97/2	0.052
1296/2,		98/1, 98/2	0.064
1297	0.051	99/1/1, 99/1/2, 99/1/3, 99/1/4,	0.08
1295	0.11	99/2,	
1287	0.112	94/1 अ, 94/1 अ 1, 94/1 ब,	
1286	0.012	94/1 स, 94/2, 94/3, 94/4,	0.394
1284	0.01	94/5	
1278/1, 1278/2	0.088	100/1/1, 100/1/2, 100/1/3,	0.0032
1279	0.01	100/1/4, 100/2	
1275/1अ, 1275/1ब, 1275/2क,	0.088	57	0.204
1275/2क/1, 1275/2ख,		58	0.22
1274/1, 1274/2क, 1274/2ख	0.034	61	0.0192

(1)	(2)	(1)	(2)
19	0.019	338/1, 338/2, 338/3, 338/4,	0.104
22	0.096	337/1, 337/2, 337/3	0.0176
21	0.031	कुल अशासकीय भूमि	14.0002
23	0.1248		
14	0.172		
16/1, 16/2	0.128		
15	0.0336		
730	0.16		
746	0.104		
747	0.072		
748	0.072		
749	0.08		
750	0.005		
751	0.072		
752/1 क, 752/1 ख, 752/1 ग,	0.05		
752/1 घ, 752/1 क,			
752/2 ख			
977/1, 977/2	0.040		
978/1, 978/2	0.0872		
379/1892/1 क, 379/1892/1 ख,			
379/1892/1 ग व थ 4,			
379/1892/1 घ, 379/1892/1 ढं/1,	0.21+		
379/1892/1 ढं/2, 379/1892/1 च,	0.224		
379/1892/1 छ	0.436		
379/1892/1 ज, 379/1892/1 झ,			
379/1892/1 च, 379/1892/1 द			
379/1892/2			
378/1 क, 378/1 ख, 378/1 ग,			
378/1 घ, 378/1 ढं/1, 378/1 च,	0.008		
378/1 छ, 378/1 ज, 378/1 झ,			
378/1 च, 378/1 ट, 378/1 ढं/2,			
378/2			
377/1908/1, 377/1908/2,	0/0.1104		
377/1908/3, 377/1908/4			
399/1910	0.210/0.116=0.326		
400	0.0352		
376/1, 376/2, 376/3, 376/4	0.0048		
374/1, 374/2,	0.116		
403	0.0448		
373/1, 373/2	0.0128		
406/1, 406/2	0.008		
372/1, 372/2	0.232		
		शासकीय भूमि	
		975/1 क, 975/2 ख, 975/2 ख 1,	
		975/2, 975/3, 975/3 क,	
		975/4 क, 1/1, 975/4 क 1/2,	
		975/4 क 1/3, 975/4 क 1/2	0.121+
		975/4 क 2, 975/4 क 3,	0.38
		975/4 क 4/1, 975/4 क 4/2,	0.501
		975/4 क 4/3 क, 975/4 क 4/3 ख,	
		975/4 ख 1, 975/4 ख 2	
		824	0.06
		1273	0.072
		976	0.040
		380	0.0216
		664/1 क, 664/1 ख, 664/2 क 1	
		664/2 ख 2, 664/2 क 3, 664/2 ख	0.176
		664/2 ग	
		कुल शासकीय भूमि	0.8706
		महायोग ..	14.8708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाण सागर परियोजना पुरवा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 530—भू—अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम—करमऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.4939 हेक्टर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)	(1)	(2)
654	0.2112	703	0.1256
654/1	0.275	704/1 क, 704/1 ख, 704/1 ग, 704/2	0.0624
648	0.0816	705	0.093
649/2 क	0.1088	706	0.0096
642/2 ख	0.132	707/1, 707/2	0.024
642/2 क/2/2, 642/2 क 2/1	0.160	कुल अशासकीय भूमि	3.4651
642/2 क/1	0.084	613	0.0288
642/1 ख/1	0.0784	कुल शासकीय भूमि	0.0288
642/2 ख/2	0.120	महायोग	3.4939
642/1 क	0.084		
641	0.072		
640/1, 640/2	0.0672		
612	0.008		
639/1, 639/2	0.04		
638	0.0048		
618	0.10		
619	0.082		
620/1, 620/2	0.032		
616	0.08		
625/1, 625/2	0.0512		
579	0.10		
577	0.0448		
578/1, 578/2, 578/3	0.20		
626	0.0032		
746	0.242		
864	0.116		
745	0.0048		
744	0.0996		
736	0.068		
735/1, 735/2	0.068		
737	0.0484		
730/2	0.12		
730/1	0.132		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाण सागर परियोजना पुरावा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 522—भू—अर्जन—2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ग्राम—महुरछ कंदैला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.548 हेक्टर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
230	0.076
228/1क, 228/1 ख, 228/1ग, 228/1 घ, 228/2	0.01
229/1 क, 229/1 ख, 229/1ग, 229/1 घ, 229/2	0.083

(1)	(2)	(1)	(2)
251/1, 251/2, 251/3, 251/4	0.053	258/1239/1, 258/1239/2,	0.03
250/1, 250/2, 250/3, 250/4	0.004	258/1239/3	
231/1, 231/2, 231/3	0.035		योग . . . 2.548
233	0.062	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाण सागर परियोजना पुरवा मुख्य नहर के महुरछ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
242	0.04	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
241	0.006		
247/1क, 247/1ख, 247/1ग/1	0.256		
247/1ग/2, 247/1घ, 247/2			
243/1, 243/2	0.108		
244/1, 244/2, 244/3	0.14		
249/1क, 249/1ख, 249/1ग/1	0.016		
249/1 ग/2, 249/1घ, 249/2			
272/1/क/1, 272/1/क/2, 272/1/ख,	0.146		
272/2			
273/1क/1, 273/1क/2, 273/1ख,	0.126		
273/2			
278	0.057		
277/1, 277/2, 277/3	0.038		
281	0.044		
103	0.057		
102/1, 102/2	0.004		
101	0.138		
100	0.035		
99/1, 99/2	0.12		
97	0.008		
92/1, 92/2, 92/3	0.178		
79/1 क, 79/1ख, 79/2	0.022		
93/1, 93/2, 93/3	0.048		
78/1, 78/2	0.048		
77	0.088		
72/1, 72/2	0.076		
71/1, 71/2	0.038		
332	0.004		
336	0.009		
335/1क, 335/1ख, 335/1ग,	0.165		
335/2			
337/1, 337/2, 337/3	0.18		
		खसरा	रकबा
		नम्बर	(हेक्टर में)
		(1)	(2)
		37	0.044
		38/1, 38/2	0.031
		39/1, 39/2	0.032
		40	0.160
		41/1, 41/2	0.093
		59	0.025
		61	0.100
		60	0.022
		57/1क, 57/1ख, 57/2	0.476
		65	0.025
		66	0.184
		68	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाण सागर परियोजना पुरवा मुख्य नहर के महुरछ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 524-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बघेलान
- (ग) ग्राम—बढ़ौरा मुड़वार
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.562 हे.

(1)	(2)
72	0.312
71	0.030
योग . .	<u>0.1562</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के महुरछ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू—अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 526—भू—अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बघेलान
- (ग) नगर/ग्राम—बढ़ौरा कोठार
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.136 हेक्टर

खसरा	रक्का
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
109	0.005
110	0.131
योग . .	<u>0.136</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के महुरछ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू—अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 631—भू—अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मझगांव
- (ग) ग्राम—रामपुरवा
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.044 हेक्टर

खसरा	रक्का
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
72/1/1	0.204
72/2/स	0.306
73/अ	0.110
73/ब	0.324
75/अ	0.050
75/स	0.050
योग . .	<u>1.044</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 632—भू—अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मझगांव

(ग) नगर/ग्राम—मझगवां	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल लगभग—8.295 हेक्टर.	608/1	0.013
खसरा	रक्कड़ा	
नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
791	0.067	608/2
790/1	0.051	608/3
790/2	0.051	608/4
742	0.318	607/1
672/2	0.167	607/2/1
670	0.015	607/2/2
749	0.434	554/2/1
668/1	0.226	554/2/2
647/852	0.003	554/2/3
667	0.238	554/1
663	0.059	553
662	0.181	552/1
661	0.195	551
653	0.211	497/1
652	0.050	497/2
651	0.099	497/4
650	0.078	497/3ग
649	0.011	495/1/1
648	0.105	495/2
647	0.084	495/3
646	0.133	495/3/2
655	0.065	491
636	0.165	489/1
615	0.136	710/1ख
614	0.004	71/1ग
613	0.144	486/2
612	0.005	486/1
603	0.176	80
611	0.044	70/1
610	0.092	71
609/1	0.084	76
609/2/1	0.042	78
609/2/2	0.042	1
		योग . . .
		8.295

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.
- (3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 633-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—भृगुवां
 (ग) नगर/ग्राम—परेवा
 (घ) क्षेत्रफल—4.929 हेक्टर।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20	0.296
22	0.261
23/1	0.024
23/2क	0.084
24/1	0.021
23/2ख	0.084
24/2	0.136
28/1अ2	0.012
28/अ/2क	0.101
28/अ/2ख	0.101
28/अ/2ग	0.256
28/अ/2क	0.015
28/अ3	0.972
41/1/2	2.048
28/अ/3	0.184
28/अ/5	0.184
33/2/1	0.15
योग . .	4.929

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि।
- (3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 634-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—भृगुवांग
 (ग) ग्राम—सोमौरे
 (घ) क्षेत्रफल—4.390 हेक्टर।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
95/1	0.750
97	0.400
99/3	0.270
39अ/1	0.500
40अ	0.343
35	0.261
36	0.294
34	0.488
146/2	0.157
147	0.360
148	0.167
141	0.400
योग . .	4.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि।

(3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 635-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—भृगुवांग

- (ग) नगर/ग्राम—शिवसागर
 (घ) क्षेत्रफल—1.602 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
264	0.400
265	0.202
258/4	0.500
258/2	0.500
योग . .	1.602

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 636-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—रघुराजनगर
 (ग) ग्राम—रनेही (कोठी)
 (घ) क्षेत्रफल—2.031 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
366, 367	0.875
52/1/ब, 232, 234	1.156
योग . .	2.031

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 637-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन

1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—रघुराजनगर
 (ग) ग्राम—रोयनी (कोठी)
 (घ) क्षेत्रफल—3.831 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
207/1क/1	0.150
205/1/2	0.500
204/1/4	0.700
204/4/2ख	0.026
204/4/2ग	0.350
203/क/1/1	0.250
203/326/2क/1क	0.550
203/326/2क/1ख	0.600
203/326/2ख	0.300
204/311	0.405
योग . .	3.831

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 638-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—मझगवां
 (ग) नगर/ग्राम—रजौला
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.029 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
368/1	0.043

(1)	(2)
369/1	0.257
368/2/1	0.043
368/2/2	0.086
369/2	0.257
368/3	0.086
369/3	0.257
योग . .	1.029

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 639-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुगंजनगर
- (ग) नांग/ग्राम—खूझा
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.29 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1क	0.090
2/1ख	0.014
3/1क1	0.008
3/1क2	0.055
3/1ख	0.040
4/1क	0.012
4/1ख	0.016
5/1क/2	0.016
5/1ख	0.039
योग . .	0.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 14 जून 2010

क्र. 1037-भू-अर्जन-2010 प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-2007-2008.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
- (ख) तहसील—नीमच
- (ग) ग्राम—मांगरोल चक
- (घ) खसरा

नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
331	0.75
213	0.15
214	0.60
378	2.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत ढूब में आ रही ग्राम-मांगरोलचक की आबादी भूमि एवं उस स्थित परिसंपत्तियों का अनिवार्य अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 जून 2010

क्र. 5057-प्रस्तु-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पुद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—जुनारदेव
- (ग) नगर/ग्राम—जूनापानी प. ह. नं.-05, ब. नं.-54
रा. नि. मंडल-दमुआ
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—04.972
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

प्रस्तावित	प्रस्तावित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
341	02.456
349	0.045
354	01.630
342/1	0.270
342/2	0.050
342/5	0.068
342/3	0.050
342/6	0.064
342/4	0.050
342/7	0.049
350	0.240
योग : <u>04.972</u>	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—बिलावर कला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगाँव परियोजना संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री निवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 2 जून 2010

प्र. क्र.-6-अ-82-08-09-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पुद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—चीनौर
- (ग) नगर/ग्राम—उरवा
- (घ) क्षेत्रफल—26.829 है।

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टेयर
(1)	(2)	(3)
171	1.171	0.07
172	1.672	0.36
175	4.337	0.84
176	7.921	2.47
177	1.056	0.65
178	0.502	0.21
179	0.596	0.54
182	0.324	0.23
183	0.564	0.01
185	0.408	0.19
186	0.481	0.41
191	0.45	0.08

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
192	0.848	0.36	665	0.298	0.010
193	0.324	0.13	684	0.105	0.030
202	0.387	0.26	688	0.732	0.100
203	0.073	0.05	689	0.345	0.240
204	0.920	0.03	690	0.189	0.030
216	0.658	0.53	691	0.199	0.100
217	0.428	0.078	692	0.146	0.146
218	0.575	0.46	693	0.136	0.136
220	0.397	0.02	694	0.094	0.094
245	5.00	0.44	695	0.387	0.120
304	0.303	0.24	696	0.564	0.400
305	0.690	0.26	697	0.167	0.180
336	0.199	0.03	698	0.105	0.040
343	0.157	0.01	705	0.188	0.040
345	0.533	0.35	706	0.146	0.030
346	0.606	0.36	821	0.073	0.020
347	0.418	0.140	822	0.115	0.040
353	0.23	0.010	823	0.125	0.125
354	0.314	0.220	824	0.188	0.170
355	0.157	0.160	825	0.115	0.070
356	0.690	0.510	826	0.261	0.190
357	0.658	0.160	855	0.178	0.010
535	0.282	0.100	857	0.388	0.280
536	0.293	0.170	858	0.261	0.230
537	0.303	0.110	859	0.533	0.110
556	0.449	0.010	860	0.010	0.010
561	0.460	0.180	890	0.460	0.210
562	0.282	0.150	892	0.867	0.440
563	0.449	0.150	893	1.097	0.460
564	0.596	0.400	902		0.030
578	0.282	0.240	903	1.14	0.020
579	0.251	0.210	904		0.020
580	0.230	0.215	906	0.418	0.340
581	0.376	0.120	907	0.617	0.540
587	0.324	0.030	908	1.202	0.540
588	0.094	0.094	909	2.174	0.690
589	0.428	0.130	910	1.264	0.040
591	0.272	0.130	1064	1.766	0.660
592	0.240	0.180	1065	1.306	0.660
593	0.564	0.280	1067	1.494	0.830
594	0.815	0.390	1072	1.557	1.140
636	0.209	0.209	1153/1224	0.515	0.380
637	0.418	0.130	1161	0.293	0.220
638	0.042	0.042	1162	0.888	0.530

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1163	2.466	0.490	104	1.340	0.220		
1165	0.627	0.050	102	0.370	0.140		
1167	1.735	0.620	101	1.080	0.830		
1168	1.024	0.060	100	0.470	0.270		
1169	0.460	0.350	99	0.270	0.170		
1170	1.192	0.020	145	0.510	0.020		
		योग : 26.829		98	0.260	0.190	
				97	0.260	0.180	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत—हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

ग्वालियर, दिनांक 17 जून 2010

प्र. क्र.-1-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—ग्वालियर
- (ग) नगर/ग्राम—डगरऊ प. ह. नं. 70
- (घ) क्षेत्रफल—18.300 हेक्टर।

फार्म एक (3)

ग्राम डगरऊ तहसील ग्वालियर प. ह. नं. 70
हसीं उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि. मी. से 110 कि. मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हसीं उच्च स्तरीय नहर	68	0.560	0.190	496
संभाग क्र. 2	69	0.340	0.310	497
ग्वालियर	70	0.060	0.060	498
	71	0.180	0.090	499
	72	0.420	0.020	500

101	1.080	0.830	501	0.190	0.190
100	0.470	0.270	502	0.100	0.020
99	0.270	0.170			
98	0.260	0.190			
97	0.260	0.180			
96	0.260	0.210			
95	0.260	0.170			
94	0.220	0.140			
93	0.550	0.470			
92	0.420	0.150			
146	0.780	0.010			
155	0.970	0.050			
156	0.680	0.680			
91	1.250	0.110			
157	0.410	0.090			
158	0.410	0.410			
159	1.510	0.130			
161	0.150	0.090			
162	0.310	0.020			
163	0.420	0.410			
164	0.610	0.230			
166	0.750	0.030			
167	0.410	0.180			
168	0.260	0.200			
170	1.040	0.400			
172	0.490	0.270			
171/653	0.250	0.150			
173	0.480	0.250			
487	0.190	0.050			
488	0.350	0.300			
493	0.210	0.190			
492	0.320	0.190			
494	0.530	0.500			
495	0.400	0.120			
491	16.000	0.150			
497	0.650	0.270			
496	0.730	0.440			
499	0.620	0.430			
500	0.420	0.150			
501	0.190	0.190			
502	0.100	0.020			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
503	0.180	0.020			अनुसूची	
504	0.230	0.230				
505	0.310	0.310				
506	0.480	0.460				
508	0.070	0.020				
522	1.030	0.490				
546	0.770	0.120				
171	0.240	0.030				
510	0.710	0.610				
509	0.330	0.060				
513	0.080	0.030				
519	0.110	0.110				
512	0.140	0.140				
511	0.240	0.240				
587	0.240	0.090				
584	1.370	0.090				
574	0.250	0.230				
547	0.320	0.010				
565	0.290	0.290				
566	0.260	0.230				
567	0.200	0.040				
571	0.270	0.090				
573	0.110	0.050				
575	0.010	0.060				
शासकीय						
578	0.770	0.680				
592	1.00	0.520				
582	0.550	0.180				
583	0.750	0.280				
588	0.200	0.180				
586	0.950	0.900				
585	1.440	0.520				
591	1.250	0.130				
520	0.320	0.320				
सम्पूर्ण						
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.					
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, में किया जा सकता है.					
प्र. क्र.-2-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद						
				104	0.630	0.08
				103	0.410	0.24
				102	0.840	0.74
				101	0.640	0.35
				306	0.500	0.32
				307	0.460	0.44
				308	0.250	0.25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)
100	0.630	0.02			1034/3	0.031	0.021
27	0.280	0.02			1034/4	0.617	
309	0.240	0.08			1027/5	0.794	0.313
योग :		17.07	7.38		1115/1	2.853	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-4-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—ग्वालियर
- (ग) नगर/ग्राम—डबका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.467 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)	1153/2	2.100	0.010
1031	2.080	0.147	1153/3	3.135	0.011
1033	0.247	0.084	1147/2	2.100	0.272
1036	2.080	0.952			

(1)	(2)	(3)	कुल योग . .	7.467
1031	2.080	0.147		

1033	0.247	0.084		
------	-------	-------	--	--

1036	2.080	0.952		
------	-------	-------	--	--

1027/2	0.021	0.021		
--------	-------	-------	--	--

1027/3	0.136	0.136		
--------	-------	-------	--	--

1027/4	0.105	0.105		
--------	-------	-------	--	--

1035/2	0.105	0.105		
--------	-------	-------	--	--

1030/1	0.428	0.229		
--------	-------	-------	--	--

1030/2	2.268			
--------	-------	--	--	--

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.